सं0-4/6082/62-2-2013-2/3(18)/2013

प्रेषक,

देवेन्द्र नाथ वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई संबंधित प्रखण्ड।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 12 दिसम्बर,2013

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन पठारी क्षेत्रों में लघु सिंचाई निर्माण कार्य योजना (गहरी बोरिंग) में सामान्य श्रेणी के कृषकों हेतु बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि का आवंटन (जिला योजना)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र सं0-जी-212/ल0सिं0/बजट-3/2013-14, दिनांक 01-11-2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में पठारी क्षेत्रों में लघु सिंचाई निर्माण कार्य योजना के अन्तर्गत सामान्य कृषकों के लिए प्राविधानित धनराशि रू0-1114.28 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत की सीमा तक धनराशि रू0-557.14 लाख (रूपये पांच करोड़ सत्तावन लाख चौदह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-1217/62-2-2013-2/3(18)/2013, दिनांक 11-04-2013 द्वारा निर्गत की गयी थी। इस प्रकार अवशेष धनराशि रू0-557.14 लाख (रूपये पांच करोड़ सत्तावन लाख चौदह हजार मात्र) को संलग्न विवरणानुसार महामहिम राज्यपाल आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है-

(1) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत पठारी क्षेत्रों में लघु सिंचाई निर्माण कार्य योजना में सामान्य कृषकों को अनुदान

http://shasanadesh.up.nic.in

उपलब्ध कराये जाने पर व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(2) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(3) आपको पुन स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(5) प्रत्येक बोरिंग के साथ ही कम से कम 25 पेड किसान स्थानीय स्तर पर अपने लिए उपयोगी समझे, लगाये जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(6) प्रश्नगत योजना का क्रियान्वयन शासनादेश सं0-3940/62-2-2012-2/2(10)/2012, दिनांक 20-11-2012 द्वारा निर्गत गाईड लाइन के अनुसार किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत योजना में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष/विभागीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जनपदवार फांट तैयार करते हुए इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि यथासमय जिला सेक्टर योजनाओं के लिए जनपदवार/योजनावार परिव्यय के निर्धारण के बाद आवश्यकतानुसार समायोजन करते हुए

http://shasanadesh.up.nic.in

संशोधित की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि से भिन्न परिव्यय जनपद विशेष में आता है तो तदनुसार यथासमय स्वीकृतियां संशोधित कर ली जायेगी।

(8) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आंवटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या - बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों तक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराये जायें।

| | | |
|---|---|---|
| 1- | मासिक व्यय विवरण | आगामी माह की 05 तारीख तक |
| 2- | प्रारम्भिक व्यायाधिक्य तथा बचत विवरण | 15-10-2013 तक |
| 3- | व्यायाधिक्य तथा बचत का अंतिम विवरण् | 15-12-2013 तक |
| 4- | वर्ष 2013-14 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो | 15-02-2014 तक |
| 5- | आवंटन का समर्पण | 15-03-2014 तक |

नोट- दिनांक 15-03-2014 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

(10) तत्संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन "लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-पठारी क्षेत्रों की लघु सिंचाई निर्माण कार्य योजना (जिला योजना)-27-सब्सिडी' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अ0शा0 संख्या-यू0ओ0-ई-2-1091/दस-13, दिनांक 10-12-2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र नाथ वर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-6082(1)/62-2-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य अभिंयता, लघु सिचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिचाई वृत, उ0 प्र0।
5- संबंधित जिलाधिकारी।
6- मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- संबंधित सहायक अभिंयता, लघु सिंचाई विभाग।
8- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
11- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन।
12- निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश।
13- एन0आई0सी0 की प्रति।
14- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in